विलोपित विलोपित विलोपित

(125)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

जिला-श्योपुर

प्रकरण क्रमांक- /2018 निगरानी

निगरानी-4531/2018/श्योपुर/भू.रा.

1. खलील पुत्र इस्माईल निवासी- ग्राम केलोर तहसील करहाल, जिला- श्योपुर, (म0प्र0) .... निगरानीकर्ता

श्री सुरेश कुशवाह अधि० द्वारा आज दि. 16-7-2018 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 31-7-18 नियत। क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 16.7.18

विरुद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला- श्योपुर

.... गैरनिगरानीकर्ता

2. श्रीमती मेमूना बेवा श्री सिराज
3. निसार पुत्र श्री सिराज
   निवासीगण - ग्राम केलोर तहसील करहाल, जिला- श्योपुर, हाल निवासी- कमेले के पास, श्योपुर जिला- श्योपुर (म0प्र0)
4. इस्माईल पुत्र गेंदे खॉ अंसारी
   निवासी-कागजी टोढ़ी, श्योपुर जिला-श्योपुर
5. मुन्ना पुत्र इसहाक
   निवासी- ग्राम केलोर तहसील करहाल, जिला- श्योपुर (म0प्र0) हाल निवासी- मेवाती मौहल्ला, श्योपुर (म0प्र0)

......तरतीवी पक्षकार/गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा-50 (2) म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

न्यायालय कलेक्टर श्योपुर द्वारा दिनांक-02.02.2018 को प्रकरण क्रमांक- 29/2015-16/स्व0 निग0/अपर कलेक्टर में पारित आदेश के विरुद्ध

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
अग्रिम प्रति ....
पृष्ठ क्र. .... से ....
दिनांक 16/7/18
हस्ताक्षर व नाम ....

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4531/2018/श्योपुर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/02/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश कुशवाह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **<u>आयुक्त चंबल संभाग मुरैना</u>**	